



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या - 530 राँची, गुरुवार,

10 नवम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-36/2022-17719 (HRMS)--उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पत्रांक-368(A)/विधि, दिनांक 26.08.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-61/20), भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा द्वारा सुन्दरनगर काण्ड संख्या-22/2017, जी०आर० नं०-1867/17, धारा-467/468/471/406/409/419/420/34 भा०द०वि० में अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी (S.D.J.M.), जमशेदपुर के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है, जिसके पश्चात् उन्हें न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में घाघीडीह केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया है।

2. अतः श्री बास्के को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत आत्मसमर्पण की तिथि दिनांक 18.07.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	LAKHI RAM BASKEY (20060400007)	श्री लखी राम बास्के, झां०प्र०से०, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा को निलंबित किया जाता है ।	18/07/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
